न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 150/2011
प्रविष्टि दिनांक 24.05.2011

कृषि उपज मण्डी समिति टोंक जरिए सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति टोंक राज0
.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–तहसीलदार पीपलू जिला–टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री सरवर अली,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांक 20–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे सोहेला तहसील पीपलू की भूमि ख0नं0 2385/3 में से 0.2000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 420992/रूपये बारानी–3 भूमि मानकर निर्धारण किया गया है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक कार्य के लिए आवटित हुई थी। प्रार्थी की भूमि का मुआवजा प्रार्थी को सुने बिना बहुत कम निर्धारित किया गया है। भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक डीएलसी दर का आंकलन निर्धारण करने के बजाय बारानी–3 भूमि की दर का मुआवजा निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 3–6–2010 को अपास्त कर बारानी–3 भूमि के स्थान पर वाणिज्यिक भूमि की दर से भूमि का मुआवजा निर्धारण कर राशि दिलाने का आदेश प्रदान करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की ग[illegible] अवार्ड पत्रावली 520/2009 दिनांक 3–6–2010 तलब की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अप्रार्थी संख्या 3 ने लिखित बहस में अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 2385/3 में से 0.2000 वर्गमीटर ग्राम सोहेला तह0 पीपलू अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)

अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–3 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्मूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 520/2009 दिनांक 3–6–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 ख0नं0 2385/3 में से 0.2000 वर्गमीटर किस्म बारानी–3 का डी.एल.सी. दर से ग्राम सोहेला का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का 420992/रू0 निर्धारण कर नियमानुसार हितबद्व व्यक्ति के नाम जमा किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि व्यवसायिक रूपान्तरित न होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की किस्म बारानी–3 दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक भूमि की दर से मुआवजा चाहा गया है,परन्तु वाणिज्यिक भूमि के संबंध मे संपरिर्वतन आदेश तथा अन्य साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 20–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:54 IST
Reason: SelfAttested